प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 384 सन 2022

अनवान :–

1. सीताराम पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. सुशीला देवी पत्नी भवंरलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. रविकान्त पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. रीना पुत्री भंवरलाल जाति महाजन निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/5/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 के खसरा संख्या 1224/2 की 21.9224हैक खसरा 1231 की 2.6818हैक खसरा न0 886 की 1.2650हैक कुल 26.4637 हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वाद व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल आज से करीब 70 साल की उम्र में करीब 26 साल पुर्व अपने निवास/घर से रिश्तेदारी का कहकर गये थे उस दिन से आज तक घर वापस नही आये है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने पिता/पति भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की काफी खोज खबर की रिश्तेदारी /मित्रगणों व तीर्थ स्थलों पर खोज की गई किन्तु आज तक भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को काई अता पता नही चला है।

वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को करीब 26 साल पूर्व घर से निकलने के बाद किसी ने भी नही देखा है अर्थात वादी के पिता का देहान्त हो गया है अर्थात वादी के पिता की सिविल मृत्यू हो चुकी है कानूनी तौर पर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का साल सालों तक कोई अता पता नही हो तो उसकी सिविल मृत्यू मानी जा सकती है अर्थात वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की सिविल मृत्यू होने के कारण वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को करीब 26 साल पूर्व घर से निकलने के द किसी ने भी नही देखा है अर्थात वादी के पिता का देहान्त हो गया है अर्थात वादी के ता की सिविल मृत्यू हो चुकी है कानूनी तौर पर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के नुसार यदि किसी व्यक्ति का साल सालों तक कोई अता पता नही हो तो उसकी सिविल त्यू मानी जा सकती है अर्थात वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की सिविल मृत्यू होने के कारण वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 एआईआर 1967 एव साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 के खसरा संख्या 1224/2 की 21.9224हैक खसरा 1231 की 2.6818हैक खसरा न0 886 की 1.2650हैक कुल 26.4637 हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वाद व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल आज से करीब 70 साल की उम्र में करीब 26 साल पुर्व अपने निवास/घर से रिश्तेदारी का कहकर गये थे उस दिन से आज तक घर वापस नही आये है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने पिता/पति भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की काफी खोज खबर की रिश्तेदारी /मित्रगणों व तीर्थ स्थलों पर खोज की गई किन्तु आज तक भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को काई अता पता नही चला है।

वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को करीब 26 साल पूर्व घर से निकलने के बाद किसी ने भी नही देखा है अर्थात वादी के पिता का देहान्त हो गया है अर्थात वादी के पिता की सिविल मृत्यू हो चुकी है कानूनी तौर पर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का साल सालों तक कोई अता पता नही हो तो उसकी सिविल मृत्यू मानी जा सकती है अर्थात वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की सिविल मृत्यू होने के कारण वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वाद व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल आज से करीब 70 साल की उम्र में करीब 26 साल पुर्व अपने निवास/घर से रिश्तेदारी का कहकर गये थे उस दिन से आज तक घर वापस नही आये है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने पिता/पति भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की काफी खोज खबर की रिश्तेदारी /मित्रगणों व तीर्थ स्थलों पर खोज की गई किन्तु आज तक भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को काई अता पता नही चला है।

वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को करीब 26 साल पूर्व घर से निकलने के बाद किसी ने भी नही देखा है अर्थात वादी के पिता का देहान्त हो गया है अर्थात वादी के पिता की सिविल मृत्यू हो चुकी है कानूनी तौर पर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का साल सालों तक कोई अता पता नही हो तो उसकी सिविल मृत्यू मानी जा सकती है अर्थात वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की सिविल मृत्यू होने के कारण वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 के खसरा संख्या 1224/2 की 21.9224हैक खसरा 1231 की 2.6818हैक खसरा न0 886 की 1.2650हैक कुल 26.4637 हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वाद व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति है। वादी के पिता भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल आज से करीब 70 साल की उम्र में करीब 26 साल पुर्व अपने निवास/घर से रिश्तेदारी का कहकर गये थे उस दिन से आज तक घर वापस नही आये है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने पिता/पति भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल की काफी खोज खबर की रिश्तेदारी /मित्रगणों व तीर्थ स्थलों पर खोज की गई किन्तु आज तक भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल को काई अता पता नही चला है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

यदि किसी व्यक्ति का सात सालों तक तालाश /गुमशुद्दी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी नही हो तो उसकी सिविल डैथ होनी मानी जा सकती है हस्तगत प्रकरण में भी भवंरलाल पुत्र चंवरीलाल का भी पिछले 26 सालो से कोई अता पता /जानकारी प्राप्त नही होना सिविल डैथ की परिभाषा में आती है वादी ने भवंरलाल पुत्र चंवरीलाल के लापता होने के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों के शपथ पत्र/ब्यान भी करवाये गये है तथा सरपंच की तस्दीक भी पेश की गई जिसके अनुसार भवंरलाल पुत्र चंवरीलाल का काई अता पता नही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर भवंरलाल पुत्र चंवरीलाल की सिविल डैथ मानी जा सकती है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो/मजमे आम में वादी के कथनों का समर्थन करने एवं न्यायायिक दृष्टान्तों एव साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 149/150 की कुल 26.4637 हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि भंवरलाल पुत्र चंवरीलाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.....